समाज की विशेषताएँ
(Characteristics of Society)

मैकाइवर एवं **पेज** ने अपनी पुस्तक *'Society'* में समाज की निम्नलिखित विशेषताएँ बतायी हैं—

(1) अमूर्तता (Abstractness)—समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक सम्बन्धों से होता है। चूँकि ये सामाजिक सम्बन्ध अमूर्त होते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज भी अमूर्त है, अर्थात् समाज कोई तात्विक अवधारणा नहीं है, इससे किसी भी ठोस यथार्थ का पता नहीं चलता है।

(2) जागरूकता (Awareness)—मानव के जागरूक प्रयत्नों द्वारा स्थापित सम्बन्धों से ही समाज का निर्माण होता है, जागरूक प्रयत्न का तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्य भी समाज के सापेक्ष ही होते हैं। पार्सन्स ने अपनी परिभाषा में समाज की इसी विशेषता पर सबसे अधिक जोर दिया है।

(3) समानता तथा विभिन्नता (Equality and Difference)—प्रत्येक समाज में समानता तथा विभिन्नता के अंश आवश्यक रूप से निहित होते हैं। समानता का तात्पर्य समाज के विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य, प्रकृति, चेतना, शारीरिक रूप, ढंग आदि में एकरूपता से है, यह समानता की भावना ही सदस्यों को संगठित रूप में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, इसलिए समानता को समाज के निर्माण का, प्रारम्भिक तत्त्व माना जाता है। समाज को संगठित एवं प्रगतिशील बनाए रखने के लिए विभिन्नता का होना भी जरूरी होता है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि असमानताओं का स्वरूप द्वैतीयक होता है, अर्थात् व्यक्ति अथवा समाज की जो मुख्य आवश्यकताएँ या उद्देश्य हैं उनके स्वरूप में समानता अधिक होती है। असमानता उन आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रविधियों में होती है, जैसे भोजन प्राप्त करना सभी व्यक्तियों एवं समाजों का प्रमुख उद्देश्य होता है लेकिन इस आवश्यकता-पूर्ति के लिए व्यवसाय का स्वरूप अलग-अलग होता है, कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में समानता का तत्त्व सर्वव्याप्त होने के कारण ही असमानता का अस्तित्व होता है।

Scanned with CamScanner

(4) अन्योन्याश्रितता (Interdependency)—अन्योन्याश्रितता का तात्पर्य सामाजिक सम्बन्धों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना करता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता इसलिए वह अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करके अपनी आवश्यकताओं की संस्थागत आपूर्ति का प्रयास करता है, इसलिए अन्योन्याश्रितता समाज-निर्माण के लिए एक आवश्यक दशा हो जाती है। सरल समाजों में व्यक्ति की आवश्यकताओं का स्वरूप सीमित होने के कारण यह तत्त्व मुख्यतया प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आधुनिक जटिल समाजों में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।

(5) सहयोग और संघर्ष (Co-operation and Conflict)—समानता एवं विभिन्नता की ही तरह समाज में सहयोग एवं संघर्ष का भी समान अस्तित्व होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पारस्परिक सहयोग करता है, लेकिन उद्देश्यों की विभिन्नता के कारण व्यक्ति एक-दूसरे से संघर्ष भी करता है, हालांकि संघर्ष का मुख्य कारण असीमित साध्यों की प्राप्ति के लिए साधनों की सीमित उपलब्धता है। समाज के लिए ये दोनों ही स्थितियाँ पूरक की तरह कार्य करती हैं, इसलिए मैकाइवर का मानना था समाज संघर्ष-मिश्रित सहयोग है।

(6) सर्वव्यापकता (Universality)—समाज का अस्तित्व सभी कालों एवं सभी भू-क्षेत्रों में रहा है। समाज के कारण ही मनुष्यों में सामाजिक विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं। हालांकि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी बहुत हद तक समाज के गुण पाये जाते हैं; जैसे पशु पक्षी भी समूह में रहना पसन्द करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि हाथी, मधुमक्खी, चींटी, दीमक आदि जैसे जीवों में सामाजिकता के गुण अत्यधिक पाये जाते हैं, परन्तु पर्याप्त मानसिक चेतना के अभाव में ही पशु-समाज को समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

एच०एम० जॉनसन (H.M. Johnson) ने समाज की निम्नलिखित चार विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(1) निश्चित भू-भाग—प्रत्येक समाज का एक निश्चित स्थान होता है। इस स्थान का सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थ महत्त्वपूर्ण होता है न कि भौगोलिक विशेषताएँ—गाँव, बस्ती, शहर, जिला, तहसील आदि को जॉनसन ने समाज के अन्तर्गत पाया जाने वाला विभिन्न भू-भागीय समूह माना है।

(2) यौन प्रजनन—जॉनसन ने समाज के भीतर की जाने वाली यौन प्रजनन की प्रक्रिया को ही समाज में नए सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत माना है। विवाह संस्था द्वारा इस प्रक्रिया को वैधता प्राप्त होती है। युद्ध एवं प्रवास की घटना द्वारा बाहर के सदस्यों को भी समाज के सदस्य के रूप में स्वीकृति दी जाती है, लेकिन वह नये सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत नहीं है।

(3) सर्वांगव्यापी संस्कृति—किसी समाज की संस्कृति में समस्त मानव संस्कृति के गुण समाहित होते हैं। यह संस्कृति मात्र इस अर्थ में सर्वव्यापी होती है कि सामाजिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह को योग्य बनाने हेतु सांस्कृतिक संरचना में पर्याप्त विभिन्नता पायी जाती है, लेकिन सम्पूर्ण संस्कृति समाज के किसी एक सदस्य में नहीं पायी जाती है। प्रत्येक सदस्य संस्कृति के उतने ही भाग को आत्मसात् करता है जितने से वह अन्तःक्रिया की प्रणाली में अपनी भूमिका को पूरा करने के योग्य हो जाता है।

(4) आत्मनिर्भरता—समाज किसी अन्य समूह का उप-समूह नहीं होता है, इस विशेषता के आधार पर जॉनसन ने उन समूहों को भी समाज माना है जो राजनीतिक दृष्टि से किसी अन्य समूह के अधीन होने के बावजूद उसमें पूर्णतः समाहित नहीं हो पाए हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही जॉनसन ने समाज

Scanned with CamScanner

को विशिष्ट विशेषताओं वाला समूह माना है। जॉनसन का मानना है कि जिन समूहों में उपर्युक्त चारों विशेषताएँ एक साथ पायी जाएँ, उसे समाज कहा जा सकता है।

समाज की कुछ अन्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) संस्थाओं का अस्तित्व—प्रत्येक समाज में कुछ संस्थाएँ विद्यमान होती हैं, कुछ संस्थाओं का स्वरूप सर्वव्यापी है; जैसे—परिवार, विवाह, नातेदारी, राज्य, धर्म, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था इत्यादि। इसके अलावा प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट संस्थाएँ भी होती हैं, इन संस्थाओं के आधार पर ही व्यक्ति एवं समूह के क्रिया-कलापों का नियमन होता है।

(2) निरन्तरता एवं परिवर्तन की प्रक्रिया—समाज का अस्तित्व निरन्तरता एवं परिवर्तन के साथ सदैव कायम रहता है। प्रत्येक समाज के अतीत के विभिन्न आयामों के आधार पर ही उसके वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा निर्धारित होती है। परिवर्तन से समाज का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके बाह्य रूपाकारों में बदलाव आता है।

(3) समाजीकरण एवं सामाजिक नियन्त्रण—प्रत्येक समाज अपने नये सदस्यों को समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस प्रशिक्षण से ही वह समाज की संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान, आदर्श आदि को आत्मसात् करता है। समाज द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्था करने के लिए सामाजिक नियन्त्रण की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी प्रत्येक समाज की विशेषता है।

Scanned with CamScanner